# ग्राम पंचायत–बनकला, विकास खण्ड–नाहन, जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग–एक

1 **प्रस्तावना**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006–12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत–बनकला, विकास खण्ड–नाहन, जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहेः–**

**प्रधानः–**

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री रजनी देवी | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**सचिवः–**

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री जसवीर सिंह | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**तकनीकी सहायकः–**

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री अमनदीप | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**ग्राम रोजगार सेवकः–**

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति पूनम | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

## (ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत–बनकला, विकास खण्ड–नाहन, जिला–सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्रम | पैरा सं. | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | रोकड़ बही व बैंक शेष में भारी अन्तर | 2.62 |
| 2 | 6.3 | अनुदान उपयोग हेतु शेष | 10.95 |
| 3 | 7.1 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 1.85 |
| 4 | 7.2 | अभिलेख प्रस्तुत न करना | 0.14 |
| 5 | 8.1 | स्त्रोत पर जी0एस0टी टी0डी0एस की कटौती न करना | 0.10 |
| 6 | 9.1 | खनिज सामग्रियों से सम्बन्धित रॉयल्टी की कटौती न करना | 0.64 |
| 7 | 9.2 | निर्माण सामग्री वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना | 0.13 |
| 8 | 9.3 | मस्ट्रोल में गणना की त्रुटि के कारण अधिक भुगतान | 0.02 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है ।

### अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/18 से 03/20:–

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | नवीनतम स्थिति | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | निर्णीत | अंकेक्षण शुल्क ₹5000 की राशि प्राप्त करने उपरान्त। |
| 2 | 4(क) | निर्णीत | कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं। |
| 3 | 4(ख) | निर्णीत | कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं। |
| 4 | 4(ग) | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित करने के उपरान्त |
| 5 | 5 | अनिर्णीत | |
| 6 | 6 | निर्णीत | हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | दिनांक 15/02/2012 में जारी दिशा–निर्देशों अनुसार। |
| 7 | 7 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित। |
| 8 | 8 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित। |
| 9 | 9 | अनिर्णीत | |
| 10 | 10 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित। |

## भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत–बनकला, विकास खण्ड–नाहन, जिला–सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12/08/2024 से 21/08/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| **2022–23** | 08/2022 | 06/2022 |
| **2023–24** | 03/2024 | 07/2023 |

**अस्वीकरणः–**"वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत–बनकला, विकास खण्ड–नाहन ,जिला–सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 67 दिनांक 21/08/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला–171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु

पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

## 4 वित्तीय स्थितिः–

**4.1** सचिव, ग्राम पंचायत बनकला द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 व 2** पर भी दिया गया हैः–

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष (₹) | प्राप्ति (₹) | ब्याज (₹) | कुल (₹) | व्यय (₹) | अन्त शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022-23** | 4343180.94 | 7415991.46 | 131223.08 | **11890395.48** | 8162583.23 | **3727812.25** |
| **2023-24** | 3727812.25 | 4066983.88 | 77229 | **7872025.13** | 6248429.49 | **1623595.64** |
| दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट–3** | | | | | | **1396270.29** |
| दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹1623595.64–₹1396270.29) **परिशिष्ट–2** | | | | | | **227325.35** |

## 4.2 ₹2.62 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–2"** में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹261822.45** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः–

| क्र0सं0 | योजना का नाम | अन्तर की राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य निधि/स्वः स्त्रोत (बैंक में कम जमा) | 24274.9 |
| 2 | 13 वां वित्त आयोग (13th FC) (बैंक अन्तशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया) | 220299 |
| 3 | VKVNY/SBM/SDP/MPLADS (बैंक में अधिक जमा) | 17248.55 |
| | **योग** | **261822.45** |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया

जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

## 4.3 बंद योजनाओं में ₹2.20 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः– .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 13 वां वित्त आयोग (13th FC) योजना से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.3.2024 को **₹220299 (परिशिष्ट–1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित बैंक खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचित को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 4.3 स्वः–स्त्रोत शीर्ष हेतु अलग रोकड बही का संचालन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये स्वः स्त्रोत शीर्ष हेतु रोकड बही का स्वतन्त्र/पृथक रूप से संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 5 सावधि जमा में निवेश न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट–2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत खातों में दिनाँक 31.03.2024 को **₹528431.15** की राशि शेष थी परन्तु सावधिक जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि

स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

## 6 अनुदान

### 6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹45.19 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹4519364.35** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:–

| क्रम | योजना | वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त राशि (₹) | वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त राशि (₹) | कुल राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 वां वित्त आयोग (14th FC) | 15847 | 0 | **15847** |
| 2 | 15 वां वित्त आयोग (15th FC) | 2876460 | 771966 | **3648426** |
| 3 | विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) | 330000 | 298813 | **628813** |
| 4 | स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | 52028.35 | 0 | **52028.35** |
| 5 | सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP) | 24250 | 0 | **24250** |
| 6 | मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) | 0 | 150000 | **150000** |
| | **कुल** | **3298585.35** | **1220779** | **4519364.35** |

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

### 6.2 अनुदान से ₹63.86 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹6385958.3** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित

संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है :–

| क्रम | योजना | वर्ष 2022–23 के दौरान अनुदान से व्यय राशि (₹) | वर्ष 2022–23 के दौरान अनुदान से व्यय राशि (₹) | कुल राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 वां वित्त आयोग (14th FC) | 15623.94 | 378.7 | **16002.64** |
| 2 | 15 वां वित्त आयोग (15th FC) | 3127989 | 2314669.36 | **5442658.36** |
| 3 | विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) | 360134 | 299601 | **659735** |
| 4 | स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | 111839.3 | 59 | **111898.3** |
| 5 | सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP) | 21285 | 0 | **21285** |
| 6 | मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) | 0 | 134379 | **134379** |
| | **कुल** | **3636871.24** | **2749087.06** | **6385958.3** |

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## 6.3 अनुदान राशि ₹10.95 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹1095164.49** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा–निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:–

| क्रम | योजना | रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 13 वां वित्त आयोग (13th FC) | 220299 |
| 2 | 15 वां वित्त आयोग (15th FC) | 774267.64 |
| 3 | विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) | 34078.5 |
| 4 | स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | 898.35 |
| 5 | सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP) | 50000 |
| 6 | मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) | 15621 |
| | कुल | **1095164.49** |

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त

नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

### 7.1 पंचायत राजस्व ₹1.85 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट– 3 व 4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत में निम्न विवरणानुसार राजस्व राशि **₹184952** वसूली हेतु शेष थी :-

| क्रम संख्या | विवरण | दिनांक 31/03/2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | गृहकर **(परिशिष्ट– 4)** | 35750 |
| 2 | भवन किराया **(परिशिष्ट– 5)** | 149202 |
| | **कुल** | **184952** |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 7.2 ₹0.14 लाख की प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार **₹13896** की प्राप्त राशियां रोकड़ बही में दर्ज पाई गई परन्तु इनसे सम्बन्धित अभिलेख जैसे रसीद, रजिस्टर आदि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए :-

| क्रम | वाउचर संख्या | दिनांक | रोकड बही अनुसार विवरण | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OWN/2023-24/R/67 | 07/03/2024 | Other Receipts- Royalty receipts | 10120 |
| 2 | OWN/2023- 24/R/73 | 20/03/2024 | Other Receipts- Royalty receipts | 2880 |
| 3 | OWN/2023- 24/R/75 | 28/03/2024 | Other Receipts- Royalty receipts | 896 |
| | | **कुल** | | **13896** |

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 जारी करके सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## 7.3 एक ही क्रमांक की 6 रसीद बुकें प्रयोग करना :–

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 6 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी। जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

## 7.4 दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध का कार्यान्वयन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश सं0 पी0सी0एच–एच0पी(7)10/60 दिनांक 17/09/2008 में ग्राम पंचायत व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराए पर देने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4** अनुसार किराये पर दी गई दुकानों को आबंटित करने से पूर्व कोई अनुबन्ध कार्यान्वित नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व किरायेदारों के साथ अनुबन्ध कार्यान्वित करने के साथ–साथ देय किराये में निर्धारित अवधि उपरान्त बढ़ौत्तरी का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8 व्यय

## 8.1 संविदाकर के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.10 लाख जी0एस0टी टी0डी0एस की कटौती न करना

जी0एस0टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor), फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वितीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2%

की दर से जी0एस0टी टी0डी0एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित टी0डी0एस कटौती राशि **₹10230** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

| क्र0 सं0 | योजना | वाउचर सं0/ माह | कार्य | बिल सं0 | संविदाकार | मद | बिल राशि (बिना जी0एस0टी) (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सामान्य निधि/स्वः स्त्रोत | OWN/2022-23/P/4 | C/o Waste Collection Centre | 037 | M/s Krishna Traders | स्टील, जाली, आदि | 149830 |
| 2 | | | | 035 | M/s Krishna Traders | स्टील, जाली, आदि | 62035 |
| 3 | 15 वां वित्त आयोग | XVFC/2022-23/P/29 21-06-22 | C/o Waste Collection Centre W No. 5 & 6 | 049 | M/s Krishna Traders | स्टील, जाली, आदि | 149830 |
| | 15 वां वित्त आयोग | XVFC/2022-23/P/30 21-06-22 | C/o Waste Collection Centre W No. 7 & 8 | 047 | M/s Krishna Traders | स्टील, जाली, आदि | 149832 |
| | | | **कुल** | | | | 511527 |
| | | | **अपेक्षित कटौती दर** | | | | 2.00% |
| | | | **अपेक्षित कटौती** | | | | 10230 |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयकर टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8.2 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹0.13 लाख का अनियमित भुगतान :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि निम्न तालिका में वर्णित **₹12720** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| योजना | कार्य का नाम | मस्ट्रोल संख्या/ दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| मनरेगा | C/o Pacca Danga Mehar Singh Tara Chand Prakash Chand | 6727/07-03-24 | 7680 |
| | | 7129/20-03-24 | 5040 |
| | | कुल | **12720** |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

## 8.3 स्वः स्त्रोत से प्राप्त ₹0.45 लाख आय का सीधा व्ययः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को खाते में जमा तथा सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान अवधि 04/2022 से 03/2024 की रोकड बही की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत निधि से वर्ष 2022—23 व 2023—24 के दौरान निम्न तालिका अनुसार प्राप्त **₹45252** आय को बैंक में जमा करवाये बिना ही सीधा व्यय किया गया था जोकि अनियमित है।

| क्र0सं0 | दिनांक | वाउचर संख्या | विवरण | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-07-2022 | OWN/2022- 23/P/14 | अन्य भुगतान— मस्ट्रोल भुगतान | 150 |
| 2 | 16-07-2022 | OWN/2022- 23/P/15 | अन्य भुगतान— मस्ट्रोल भुगतान | 150 |
| 3 | 31-08-2022 | OWN/2022- 23/P/35 | कार्यालय व्यय— जलपान व्यय | 11902 |
| 4 | 01-12-2022 | OWN/2022- 23/P/54 | कार्यालय व्यय— बिजली बिल | 323 |
| 5 | 30-01-2023 | OWN/2022- 23/P/59 | कार्यालय व्यय | 2060 |
| 6 | 22-03-2023 | OWN/2022- 23/P/69 | अन्य भुगतान— श्री राजीव कुमार को सफाई हेतु भुगतान | 7000 |
| 7 | 24-03-2023 | OWN/2022- 23/P/67 | अन्य भुगतान— श्री राजीव कुमार को सफाई हेतु भुगतान | 5800 |
| 8 | 25-03-2023 | OWN/2022- 23/P/68 | कार्यालय व्यय— स्टेशनरी | 3675 |
| 9 | 24-05-2023 | OWN/2023- 24/P/7 | कार्यालय व्यय— बिजली बिल | 826 |
| 10 | 24-05-2023 | OWN/2023- 24/P/8 | कार्यालय व्यय— ईन्टरनेट बिल | 1202 |
| 11 | 30-03-2024 | OWN/2023- 24/P/52 | अन्य भुगतान— मित्तल हार्डवेयर स्टोर | 7900 |
| 12 | 30-03-2024 | OWN/2023- 24/P/52 | अन्य भुगतान | 4264 |
| | | | कुल | **45252** |

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टिकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 9 निर्माण कार्य

## 9.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी ₹0.64 लाख की कटौती न करना:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.–(आर.डी. एवं पी.आर.)–डी.बी. जनरल/2023–1/204192/2023–34307–30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट–5** अनुसार **₹64446** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 66 दिनांक 21/08/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः **₹64446** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 9.2 निर्माण सामग्री से ₹0.13 लाख के वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना:–

हि0प्र0 पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को निम्न तालिका अनुसार **₹13146** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है।

| क्रम | योजना | कार्य का नाम | बिल सं0 | दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामग्री | मात्रा (क्यु0मी) | दर | जी0एस टी दर | कटौति दर | अपेक्षित कटौति (क्यु0मी) | कटौति राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मनरेगा | C/o Pucca rasta NH07 to h/o Surinder saini | 26 | 25-11-2021 | Chauhan Carriers | Aggregate 20mm | 1.4 | 1285.7 | 5% | 10% | 0.14 | 189 |
| | | | 19 | 22-11-2021 | Chauhan Carriers | Aggregate 10mm | 4.5 | 1362 | 5% | 10% | 0.45 | 644 |
| 2 | मनरेगा | c/o Pacca Rasta NHto H/O Pratap wn 6 | 23 | 09-12-2022 | KAMAL KUMAR | Aggregate 10mm | 18.5 | 1356 | 5% | 10% | 1.85 | 2634 |
| | | | | | | Aggregate 20mm | 27.8 | 1381 | 5% | 10% | 2.78 | 4031 |
| 3 | मनरेगा | Repair of pacca rasta Uday Ram house to main road w no 4 | 17 | 17-09-2022 | KAMAL KUMAR | Aggregate 10mm | 1.4 | 1900 | 5% | 10% | 0.14 | 279 |
| | | | | | | Aggregate 20mm | 7.9 | 1300 | 5% | 10% | 0.79 | 1078 |
| | | | | | | Aggregate 30mm | 16.6 | 1100 | 5% | 10% | 1.66 | 1917 |
| 4 | मनरेगा | c/o Pacca Rasta Churman Coloney to H/O Nirmal w no 5 | 52 | 15-02-2023 | M/S SHYAM SUNDER | Aggregate 10mm | 6.8 | 1330 | 5% | 10% | 0.68 | 950 |
| | | | | | | Aggregate 20mm | 10,2 | 1330 | 5% | 10% | 1.02 | 1424 |
| | कुल | | | | | | | | | | | **13146** |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वाइड्स (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 9.3 मस्ट्रोल में गणना की त्रुटि के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु किए गए भुगतानों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार मस्ट्रोल में गणना की अंक गणितीय त्रुटि करके **₹1836** का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है।

**कार्य का नाम** – C/o Amrit Sarovar at Village Koon
**योजना का नाम – मनरेगा**
**माप पुस्तिका संख्या– 13771** (पृ0 सं0 68)

| मस्ट्रोल संख्या | दिनांक | सही गणना (₹) | मस्ट्रोल अनुसार गणना (₹) | अधिक भुगतान (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1662 | 14/07/2022 | 21721 | 22684 | 963 |
| 1663 | 14/07/2022 | 19691 | 20565 | 873 |
| | | कुल | | **1836** |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 66 दिनांक 21/08/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अधिक भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

### 10.1 ई–ग्रामस्वराज पोर्टल में चल–अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः–

ई–ग्रामस्वराज पोर्टल (egramswaraj.gov.in/inventory Register.do) पर प्रारूप–VII पंचायत द्वारा सभी चल–अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0ः 66 दिनांक 21/08/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल–अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैः–

| क्र. सं. | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| **हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002** | | | |
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | मासिक बैंक समाधान विवरणी | 5 | 15(1) |
| 3 | वर्गीकृत सार | 8 | 29(4) |
| 4 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 5 | बजट प्राक्कलन | 11 | 37 |
| 6 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 7 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61 (2) |
| 8 | खाता बही | 29 | 7 |
| 9 | तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर | 31 | 95 (1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर | 33 | 10 |
| **हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997** | | | |
| 1 | रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर | 2 | 34 |
| 2 | विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर | 7 | 34 |
| 3 | अनुदान रजिस्टर | 8 | 34 |
| 4 | अचल सम्पत्ति रजिस्टर | 11 | 34 |

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 66 दिनांक 21/08/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिका:–**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष :–** ग्राम पंचायत के लेखों के रख–रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रीत

5584-5588 20 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 49/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत बनकला, विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रीत

'परिशिष्ट - 1' (पैरा 4.1)

ग्राम पंचायत बनकला, डा0 शम्भूवाला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173001 की वर्ष 2022–23 व 2023–24 की समेकित वित्तीय स्थिति

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज | कुल | वर्ष के दौरान व्यय | अन्त शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022-23** | 4343180.94 | 7415991.46 | 131223.08 | **11890395.48** | 8162583.23 | 3727812.25 |
| **2023-24** | 3727812.25 | 4066983.88 | 77229 | **7872025.13** | 6248429.49 | **1623595.64** |

ग्राम पंचायत बनकला, डा0 शम्भूवाला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173001 की वर्ष 2022–23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

| योजना | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज | कुल | वर्ष के दौरान व्यय | अन्त शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General) | 1479874.44 | 2331795 | 74883.14 | **3886552.58** | 2740100.88 | **1146451.7** |
| 13वां वित्त आयोग (13th FC) | 220299 | 0 | 0 | **220299** | | **220299** |
| 14वां वित्त आयोग (14th FC) | 29.7 | 15847 | 125.94 | **16002.64** | 15623.94 | **378.7** |
| 15वां वित्त आयोग (15th FC) | 2470580 | 2876460 | 55845 | **5402885** | 3127989 | **2274896** |
| विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) | 65000.5 | 330000 | 0 | **395000.5** | 360134 | **34866.5** |
| स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | 60362.3 | 52028.35 | 369 | **112759.65** | 111839.3 | **920.35** |
| सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP) | 47035 | **24250** | **0** | **71285** | 21285 | **50000** |
| संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| मनरेगा | 0 | 1785611.11 | 0 | **1785611.11** | 1785611.11 | **0** |
| **कुल** | 4343180.94 | 7415991.46 | 131223.08 | **11890395.48** | 8162583.23 | **3727812.25** |

ग्राम पंचायत बनकला, डा0 शम्भूवाला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173001 की वर्ष 2023–24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

| योजना | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज | कुल | वर्ष के दौरान व्यय | अन्त शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General) | 1146451.7 | 1436214 | 35117 | **2617782.7** | 2089351.55 | **528431.15** |
| 13वां वित्त आयोग (13th FC) | 220299 | 0 | 0 | **220299** | | **220299** |
| 14वां वित्त आयोग (14th FC) | 378.7 | 0 | 0 | **378.7** | 378.7 | **0** |
| 15वां वित्त आयोग (15th FC) | 2274896 | 771966 | 42075 | **3088937** | 2314669.36 | **774267.64** |
| विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) | 34866.5 | 298813 | 0 | **333679.5** | 299601 | **34078.5** |
| स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | 920.35 | 0 | 37 | **957.35** | 59 | **898.35** |
| सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP) | 50000 | 0 | 0 | **50000** | 0 | **50000** |
| संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) | 0 | 150000 | 0 | **150000** | 134379 | **15621** |
| मनरेगा | 0 | 1409990.88 | 0 | **1409990.88** | 1409990.88 | **0** |
| **कुल** | **3727812.25** | **4066983.88** | **77229** | **7872025.13** | **6248429.49** | **1623595.64** |

नोट: 13 वां वित्त आयोग (13th FC) के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि यह योजनाएं गत कई वर्षो पहले समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में ऑनलाईन रोकड बहीयों में इनका शेष त्रुटि के कारण दर्शाया जा रहा है।

सचिव
ग्राम पंचायत बनकला
वि०ख० नाहन
जिला सिरमौर हि०प्र०

'परिशिष्ट-2'

पंचायत बनकला, डा0 शम्भूवाला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173001

| योजना | बैंक | खाता सं0 | रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹) | बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹) | अन्तर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| सम्मान निधि/ स्व: स्रोत (OWN/General) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, शम्भूवाला | 2229982823 | 528431.15 | 298497.57 | |
| | हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नाहन | 5590100262 | | 205658.68 | |
| | | कुल | 528431.15 | 504156.25 | 24274.9 |
| 13वां वित्त आयोग (13th FC) | बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं | | 220299 | 0 | 220299 |
| 14वां वित्त आयोग (14th FC) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, शम्भूवाला | 3582438472 | 0 | 0 | 0 |
| 15वां वित्त आयोग (15th FC) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, शम्भूवाला | 3828914887 | 774267.64 | 774267.64 | 0 |
| विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, शम्भूवाला | 2229995785 | 34078.5 | 117846.4 | |
| स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | | | 898.35 | | |
| सेक्टोरल डिसेन्ट्रेलिज़ेशन प्लान (SDP) | | | 50000 | | |
| सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) | | | 15621 | | |
| | | कुल | 100597.85 | 117846.4 | -17248.55 |
| | कुल योग | | 1623595.64 | 1396270.29 | 227325.35 |

सचिव
ग्राम पंचायत बनकला
वि०ख० नाहन
जिला सिरमौर हि०प्र०

परिशिष्ट - 3
पैरा संख्या - 7.1

पंचायत बनकला, डा0 शम्भूवाला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173001

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सूचना–

वर्ष 2022–23 के दौरान परिवारों की सं0– 1120

वर्ष 2022–23 के दौरान गृहकर की दर– 50 ₹ /परिवार

वर्ष 2023–24 के दौरान परिवारों की सं0– 1245

वर्ष 2023–24 के दौरान गृहकर की दर– 50 ₹ /परिवार

| वर्ष | आरंभिक शेष (₹) | वर्ष के दौरान मांग (₹) | कुल (₹) | प्राप्ति (₹) | अन्त शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 14175 | 56000 | 70175 | 70175 | 0 |
| 2023–24 | 0 | 62250 | 62250 | 26500 | 35750 |

सचिव
ग्राम पंचायत बनकला
वि०ख० नाहन
जिला सिरमौर हि०प्र०

परिशिष्ट- 4
पैरा संख्या-7.1

ग्राम पंचायत बनकला, डा0 शम्भूवाला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173001

दिनांक 31/03/2024 को भवन किराया वसूली सम्बन्धी सूचना–

| दुकान सं0 | विवरण | मासिक किराया | गत शेष | वर्ष के दौरान मांग | कुल | वर्ष के दौरान प्राप्ति | अन्तशेष/ बकाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **वर्षः 2022–23** | | | | | | | |
| 1 | श्री गुरूप्रसाद | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 2 | श्री लक्ष्मी चन्द | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 3 | श्री राज कुमार | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 4 | दर्शन लाल | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 5 | उप मण्डल अधिकारी, बी0एस0एन0एल | 1500 | 113202 | 18000 | 131202 | 0 | 131202 |
| | | कुल | 113202 | 32400 | 145602 | 14400 | 131202 |
| **वर्षः 2023–24** | | | | | | | |
| 1 | श्री गुरूप्रसाद | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 2 | श्री लक्ष्मी चन्द | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 3 | श्री राज कुमार | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 4 | दर्शन लाल | 300 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
| 5 | उप मण्डल अधिकारी, बी0एस0एन0एल | 1500 | 131202 | 18000 | 149202 | 0 | 149202 |
| | | कुल | 131202 | 32400 | 163602 | 14400 | 149202 |

नोटः 1. उप मण्डल अधिकारी, बी0एस0एन0एल द्वारा वर्ष 2022–23 से पूर्व 2 कमरे किराए पर लिए गए थे परन्तु वर्तमान में उनके द्वारा केवल एक कमरा किराए पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से पूर्व उनके द्वारा 2979 की दर से किराए का भुगतान किया जा रहा था। वर्तमान में उनसे अनुनन्ध करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। 2. वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी किराएदार से अनुबन्ध का कार्यावयन नही किया गया है।

सचिव
ग्राम पंचायत बनकला
वि०ख० नाहन
जिला सिरमौर हि०प्र०

## रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती

**परिशिष्ट–5**
पैरा क्रमांक-9.1

| क्रम | योजना | वाउचर सं0/ माह | कार्य का नाम | बिल सं0 | दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामग्री | मात्रा (क्यु0मी) | कनवर्जन फैक्टर | मात्रा (टनों में) | रॉयल्टी दर (₹/टन) | देय रॉयल्टी (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मनरेगा | | C/o Wire crate Bankala I/o Ramgopal, Dinesh, Baliram | 594 | 14-07-2022 | Unitech Solar System | Boulder | 45 | 2.24 | 100.8 | 80 | 8064 |
| | | | | 595 | 14-07-2022 | Unitech Solar System | Boulder | 45 | 2.24 | 100.8 | 80 | 8064 |
| 2 | मनरेगा | | Mukhymantri (01) bigha yojna in land of Usha Devi W/o Tika Ram | 327 | 03-09-2021 | Ms RAM SINGH GOODS CARRIERS | Sand | 4 | 1.6 | 6.4 | 60 | 384 |
| 3 | मनरेगा | | Mukhymantri (01) bigha yojna in land of Sarita Devi w/o Naresh Kumar | 328 | 03-09-2021 | Ms RAM SINGH GOODS CARRIERS | Bricks | 1900 | 1 | 1900 | 0.05 | 95 |
| 4 | मनरेगा | | C/o Pucca rasta NH07 to h/o Surinder saini | 13 | 20-11-2021 | Chauhan Carriers | Sand | 3 | 1.6 | 4.8 | 60 | 288 |
| | | | | 21 | 23-11-2021 | Chauhan Carriers | Boulder | 9 | 2.24 | 20.16 | 60 | 1210 |
| | | | | 26 | 25-11-2021 | Chauhan Carriers | Aggregate | 1.4 | 1.46 | 2.044 | 60 | 123 |
| | | | | 19 | 22-11-2021 | Chauhan Carriers | Aggregate | 4.5 | 1.46 | 6.57 | 60 | 394 |
| 5 | मनरेगा | | c/o soil con work amar Singh Manoj Sanjeev Goyal w no 8 | 2 | 10-01-2023 | Chauhan Carriers | Sand | 6.85 | 1.6 | 10.96 | 80 | 877 |
| 6 | मनरेगा | | c/o Cow Sarwan Kumar s/o Amar Singh | 20 | 02-12-2022 | KAMAL KUMAR | Bricks | 1290 | 1 | 1290 | 80 | 65 |
| 7 | मनरेगा | | c/o Pacca Rasta NHto H/O Pratap wn 6 | 22 | 07-12-2022 | KAMAL KUMAR | Sand | 23 | 1.6 | 36.8 | 80 | 2944 |
| | | | | 23 | 09-12-2022 | KAMAL KUMAR | Aggregate | 46.3 | 1.46 | 67.598 | 80 | 5408 |
| | | | | 24 | 12-12-2022 | KAMAL KUMAR | Boulder | 77 | 2.24 | 172.48 | 80 | 13798 |
| 8 | मनरेगा | | Repair of pacca rasta Uday Ram house to main road w no 4 | 17 | 17-09-2022 | KAMAL KUMAR | Sand | 13.5 | 1.6 | 21.6 | 80 | 1728 |
| | | | | | | | Aggregate | 25.9 | 1.46 | 37.814 | 80 | 3025 |
| | | | | | | | Boulder | 10.5 | 2.24 | 23.52 | 80 | 1882 |
| 9 | मनरेगा | | c/o Pacca Rasta Churman Coloney to H/O Nirmal w no 5 | 52 | 15-02-2023 | M/S SHYAM SUNDER | Sand | 8.5 | 1.6 | 13.6 | 80 | 1088 |
| | | | | | | | Aggregate | 17 | 1.46 | 24.82 | 80 | 1986 |
| 10 | मनरेगा | XVFC/2022-23/P/28 | Nirman Payjal Tank GHS Bankal | 2761 | | Mahaluxmi Bricks | Bricks | 2675 | 1 | 2675 | 0.05 | 134 |
| | कुल | | | | | | | | | | | **51557** |
| | +25% पेनल्टी | | | | | | | | | | | **12889** |
| | कुल योग | | | | | | | | | | | **64446** |

Tarun Saini
(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Bankala
फोन-